

DOE CIRCULAR REGARDING MISCONDUCT

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION: SCHOOL BRANCH
OLD SECRETARIAT: DELHI-110054.

No. DE.23 (555)/Sch.Br./2014/ 1900

Dated: 3/11/16

CIRCULAR

Sub: Modal Code of Conduct for Students

In spite of existing Modal Code of Conduct in practice, it has come into the notice that the cases of indiscipline and mis-behaviour on the part of students are on rise. Therefore, keeping in view the gravity of this problem all the Heads of the Govt. Schools are directed to ensure:-

1. That no child brings mobile phones or any electronic gadgets to the school otherwise it will be confiscated and will be handed over only to the parents of the concerned students.
2. That no student brings motor vehicle like Scooty/Moped etc. in the school premises.

The list of acts and mis-conducts which amount to forbidden practices is attached herewith.

Therefore, all the Heads of the Govt. School, Govt. Aided Schools and Private recognised schools are directed to inform the students, teachers and parents about the guidelines about Code of Conduct .

This issues with the prior approval of the Competent Authority.

Usha Saini
3/11/16
(Usha Saini)
DDE (Schools)

- Encl: 1. Earlier Circular
2. Revised Code of Conduct for Students

All Heads of Govt. Schools under Directorate of Education through DEL-E

No. DE.23 (555)/Sch.Br./2016/

Dated:

Copy to:-

1. PS to Secretary (Education).
2. PS to Director (Education)
3. All RDEs, DDEs Districts and Zones to monitor the progress.
4. OS (IT) to please paste it on the website.
5. Guard File.

Manjula Khanna
3/11/16
(Manjula Khanna)
OSD (Schools)

विद्यार्थियों के लिए आचार संहिता

निम्नलिखित दुर्व्यवहार/दुराचार विद्यार्थियों के लिए वर्जित हैं।

1. कक्षा से बिना अध्यापक/प्रधानाचार्य की अनुमति के अनुपस्थित रहना।
2. अध्यापकों या विद्यालय के अन्य किसी भी कर्मचारी से दुर्व्यवहार करना।
3. शिक्षक/उपप्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य के वैध आदेशों की अवहेलना करना।
4. कक्षा में जानबूझकर अशांति पैदा करना।
5. अशिष्ट व्यवहार का प्रदर्शन, शोर-शराबा/हुल्लड़बाजी या किसी भी प्रकार की बदमाशी करना।
6. छात्राओं से छेड़छाड़ या दुर्व्यवहार करना।
7. विद्यालय के अन्दर अनधिकृत वस्तुओं या व्यक्तियों को लाना।
8. नैतिक रूप से अस्वीकृत कृत्यों को करना।
9. कोई ऐसा व्यवहार करना जो आपके छात्र होने पर सवाल खड़ा कर दे।
10. धूमपान, पान खाना, गुटखा खाना या खैनी चबाना।
11. डॉक्टरी पर्चे पर निर्देशित दवाओं के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के दवा या मादक पदार्थों का सेवन।
12. किसी भी प्रकार का जुआ खेलना।
13. अन्य विद्यार्थियों/विद्यालय की सम्पत्ति की चोरी करना।
14. विद्यालय सम्पत्ति को किसी भी रूप में कुरूप करना या नुकसान करना।
15. विद्यालय भवन के आसपास या विद्यालय के अन्दर थूकने के लिए निर्धारित स्थान के अलावा अन्य जगहों पर थूकना।
16. हिंसक प्रवृत्ति का प्रदर्शन या हिंसा करना।
17. साम्प्रदायिकता, जातिवादी या अस्पृश्यता का व्यवहार करना।
18. किसी भी प्रकार के हड़ताल या पठन-पाठन को बाधित करना।
19. प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ना।

उपरोक्त सभी दुर्व्यवहार/दुराचार विद्यार्थियों के लिए वर्जित हैं। इनमें संलिप्त विद्यार्थियों पर विद्यालय प्रमुख द्वारा "अनुशासन समिति" की अनुशंसा के आधार पर विद्यालय स्तर पर दुराचार/कदाचार की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए निम्न अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है :-

1. छात्र व अभिभावक को मौखिक या लिखित चेतावनी।
2. कक्षा कार्य को नजरअंदाज करने पर मध्यानह अवकाश में कार्य पूरा कराना।
3. एक निश्चित अवधि के लिए कक्षा/स्कूल से निलंबन।
4. विद्यालय सम्पत्ति को जानबूझकर नुकसान की स्थिति में हुए नुकसान की भरपाई उसे ठीक करके/बदल कर करना।
5. अत्यावश्यक होने पर कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों का विद्यालय से निष्कासन।

हस्ताक्षर

विद्यार्थी

हस्ताक्षर

अभिभावक